



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2212]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2016/भाद्र 18, 1938

No. 2212]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2016/BHADRA 18, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितंबर 2016

सं. 81/2016

आयकर

का.आ. 2911(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम संदर्भित किया गया है) की धारा 197क की उपधारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि तिरुमाला तिरूपति देवस्थानाम, तिरूपति, आंध्र प्रदेश को उक्त अधिनियम की धारा 193 अथवा धारा 194क अथवा धारा 194-झ में विनिर्दिष्ट स्वरूप के किये जाने वाले भुगतानों पर कर की कटौती नहीं की जायेगी।

2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 81/2016/फा. सं. 275/49/2012-आयकर(बजट)]

संदीप सिंह, अवर सचिव